बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-वर्षा/स्था०-01/2017/ /पटना, दिनांक- नवम्बर, 2017

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार दास,
वरीय संयुक्त निदेशक।

सेवा में,

डा. सुप्रिया बराट,
सांख्यिकी पदाधिकारी,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- **मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक की सेवा नियमित नहीं करने पर आत्महत्या करने के संबंध में।**

प्रसंग- आपका पत्रांक-3/सी.एस./एम.-233/2015 **2725/PMO** दिनांक-31.10.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न श्री रविशंकर कुमार अकेला, ग्राम-करपी, पो.-तक्या करपी, थाना-खिजरसराय, जिला-गया(बिहार) से प्राप्त परिवाद पत्र के संबंध में कहना है कि 2012-13 में बेरोजगार युवकों को सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के कार्यो के लिए नियुक्ति नहीं की गयी थी। तथ्य यह है कि निदेशालय के तत्कालीन कार्यो यथा-फसल कटनी, जन्म रजिस्ट्रीकरण अभियान, आर्थिक गणना की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सांख्यिकी स्वयंसेवकों को अस्थायी तौर पर कार्य के विरूद्व निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर पैनलबद्व किया गया था। इन पैनलबद्व मान्याप्राप्त स्वयंसेवकों से वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में आवश्यकतानुसार कार्य लिया गया। इन स्वयंसेवकों का कार्य पूर्णत: अस्थायी प्रकृति का था तथा निदेशालय के मौसमी एवं तदर्थ कार्यो को सांख्यिकी स्वयंसेवकों से निष्पादित कराया गया।

सम्प्रति निदेशालय में फसल कटनी प्रयोग का संपादन अंचल स्तर पर निदेशालय के नियमित कर्मियों के माध्यम से किया जा रहा है। आर्थिक गणना का कार्य संपन्न हो चुका है तथा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य के अभियान का संपादन किया जा चुका है। अत: इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों के लायक निदेशालय में कोई कार्य नहीं है और मंत्रीपरिषद् के निर्णयानुसार योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना संख्या-1459 दिनांक-26.07.2016 द्वारा मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक के पैनल को निरस्त कर दिया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/-
वरीय सयुंक्त निदेशक

ज्ञापांक-वर्षा/स्था०-01/2017/ 1832 /पटना, दिनांक-21 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-आ.शा.-501027/मु.मं.स., पटना दिनांक-03.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी-2, जन शिकायत कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री रविशंकर कुमार अकेला, ग्राम-करपी, पो.-तक्या करपी, थाना-खिजरसराय, जिला-गया(बिहार) मो.-9263885055, 09939980077 को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/17
वरीय सयुंक्त निदेशक

655 Sanju 21-6-17